राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 2(5)कार्मिक/क–2/2004 जयपुर, दिनांकः 7.6.2010

1– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्रादेश

विषयः– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में।

इस विभाग के परिपत्र आदेश प. 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 09.10.2000 एवं समसंख्यक परिपत्र आदेश दिनांक 14.12.2000 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में माना जायेगा तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जायेगा।

इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र सं. प. 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 31.5.2002 एवं परिपत्र सं. प. 2(5)कार्मिक/क–2/2004 दिनांक 5.8.04 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये थे कि आयोग को रिक्त पदों के विरूद्ध चयन हेतु जो अर्थनाऐं भेजी जाती है, उसमें बैकलॉग रिक्तियों की सही प्रकार से गणना कर पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना आयोग को भेजी जाए ताकि इस संबंध में उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सके।

उपरोक्त परिपत्रों के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी करने के उपरान्त भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय अथवा आयोग को रिक्त पदों के चयन हेतु अर्थना भेजते समय आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की सही सूचना नहीं भेजी जाती है और कभी–कभी तो विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि गुजर जाने के पश्चात संशोधित अर्थनाएं भेजते हैं।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे रिक्त स्थानो का सही प्रकार से निर्धारण कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती के बैकलॉग सहित रिक्तियों की गणना करें एवं जब भी नियमानुसार इन रिक्तियों को भरें, उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग रिक्तियों के निर्धारण के लिए पुनरावलोकन करें और बैकलॉग रिक्तियों का भरा जाना सुनिश्चित करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
3. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

27/2010